न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 28 / 2022(2022 / 103)

1 गोपाललाल? पुत्र श्री हरनाथ कुमावत।
2 कल्याण पुत्र श्री हरनाथ कुमावत।
3 बद्री? पुत्र श्री हरनाथ कुमावत।
सभी जाति कुमावत निवासी तरावारिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

बनाम

1. उगमा पुत्र श्री हरनाथ कुमावत जाति कुमावत निवासी तरावारिया तहसील केकड़ी।
2. राज सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक महोदय केकड़ी जिला अजमेर।
4. कन्नाराम पुत्र श्री कानाराम कुमावत।
5. धीसीदेवी पुत्री श्री कानाराम कुमावत।
6. बीनादेवी पुत्री श्री कानाराम कुमावत।
7. भूरीदेवी पत्नी श्री कानाराम कुमावत।
8. रामकरण पुत्र श्री कानाराम कुमावत।
9. लालीदेवी पुत्री श्री कानाराम कुमावत।
10. सादरलाल पुत्र श्री कानाराम कुमावत।
11. छोटूराम पुत्र श्री बरधा कुमावत।
12. माधु पुत्र श्री बरधा कुमावत।
13. शंकर पुत्र श्री बरधा कुमावत।
14. सत्यनारायण पुत्र श्री बरधा कुमावत।
15. जगदीश पुत्र श्री कजोड कुमावत।

तमाम निवासीगण तरावारिया तहसील केकडी जिला अजमेर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:–1. श्री सीताराम कुमावत – वकील प्रार्थी
2. श्री रामसिंह वकील अप्रार्थी संख्या 1

–:आदेश:–

दिनांक– 9/6/2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ग्राम तरावारिया तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
21–22	991	0.17	चाही 1

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण का [illegible] अप्रार्थीगण स. [illegible] तथा वाद वर्णित आराजी प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण स. 1 एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण स. 4 लगायत [illegible] मौखिक बंटवारे के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण स. 1 के हिस्से में आई है [illegible] वाद वर्णित आराजी पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण स. 1 का [illegible] राजस्व रिकार्ड में [illegible] [illegible] हिस्सा का [illegible] गया है। [illegible] भाग [illegible] है। अप्रार्थीगण स. 1 की नीयत खराब है [illegible] वाद वर्णित आराजीयात से प्रार्थीगण [illegible] करना चाहता है इसी नीयत से आये दिन प्रार्थीगण [illegible] करता [illegible] अप्रार्थीगण स. 1 [illegible] एवं अवैध रूप से प्रार्थीगण [illegible] बेदखल करना चाहता है तथा इस कारण [illegible] लड़ाई झगड़ा [illegible] हम तुम्हें [illegible] को [illegible] कि [illegible] तुम्हें तुम्हारी आराजीयात [illegible] बेदखल करके [illegible] नहीं [illegible] कोई कार्यवाही [illegible] तुम्हें झूठे मुकदमे में [illegible] आराजीयात [illegible] दीगर [illegible] को बेचान कर दूंगा। दिनांक 02.03.2022 को दिन में 4-5 बजे की बात है [illegible] आराजीयात की देखरेख हेतु खेत पर गया तो अप्रार्थीगण स. 1 [illegible] अन्य व्यक्ति [illegible] आये तथा प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच करने लगे तथा अप्रार्थीगण स. 1 ने [illegible] खेत की फसल को नष्ट भ्रष्ट करके रहेंगे तथा उक्त आराजीयात से बेदखल कर देंगे [illegible] अप्रार्थीगण स. 1 से कहा कि यह तो हमारी निजी खातेदारी कब्जे काश्त [illegible] उपभोग [illegible] है आप हमे हमारी खातेदारी की आराजीयात से बेदखल कैसे कर सकते हो तो अप्रार्थीगण स. 1 [illegible] से लड़ाई झगड़ा पर उतारू हो गये तथा कहा कि तुम्हे तुम्हारी आराजीयात से बेदखल करके [illegible] तथा आराजीयात को मै किसी अन्य दीगर व्यक्तियो को बेचान करके रहूंगा। अप्रार्थीगण स. 1 द्वारा [illegible] इस अवैध कार्यवाही से मजबूर होकर प्रार्थीगण को यह वाद खिलाफ अप्रार्थीगण स. [illegible] निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है तथा अप्रार्थीगण स. 1 मय उनके एजन्ट रिश्तेदारान [illegible] इत्यादि का जरिये न्यायालय की अस्थाई निषेधाज्ञा सदैव के लिए पाबन्द किया जाना आवश्यक है [illegible] प्रार्थीगण को उनके प्रार्थना पत्र के पैरा स. 1 में वर्णित खातेदारी की आराजीयात में कब्जे काश्त [illegible] किसी भी प्रकार की दखलदाजी न करे तथा न ही ऐसा कोई कृत्य करे जिससे प्रार्थीगण अपनी [illegible] खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात से बेदखल हो तथा उसे आराजीयात के शांति पूर्ण कब्जे, [illegible] उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो, जिस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। साथ ही अप्रार्थी [illegible] 3 को जरिये न्यायालय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि अप्रार्थी सं. [illegible] उसके अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा वाद वर्णित आराजीयात के रहन, अन्तरण, हस्तान्तरण, बेचान [illegible] के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो उसे पंजीबद्ध नही करे। जिस [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं [illegible] अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 15 व उनके मित्र को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का [illegible] किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जवाब निम्नानुसार है:–

प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 1 में कथित कथन स्वीकार है प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 लगायत 9 में वर्णित कथन कतई गलत एवं मिथ्या अंकन होने से अस्वीकार है तथा शेष प्रार्थना भी कतई गलत एवं मिथ्या वर्णित होने से अस्वीकार है अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अतिरिक्त कथन करते हुऐ निवेदन किया कि

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण का पूर्वजा से 70 वर्ष पूर्व भी मौखिक रूप से बंटवारा हो चुका था तथा उसी मौखिक रूप से हुए बंटवारा के आधार पर ही प्रा अप्रार्थी संख्या 1 काबिज काश्त करते चले आ रहे है अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त प्रार्थना प आराजीयात में 1/8 हिस्सा है उसमें से अप्रार्थी संख्या 1 ने 2/3 हिस्सा दिनांक 3.3.2022 व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया है तथा बेचानशुदा आराजीयात का मौके पर कब्जा सम्भला अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने व प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे के खारिज करने क किया। पक्षरारान की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एव अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष मे साबित विधिसम्मत नही कहा जा सकता है। प्रार्थिगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का सन्तु नहीं पाया गया अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नही है प्रार्थीया ।। पा सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पगारिया)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner